न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या::– 130/2019

राजूलाल पिता छीतर जाति गुर्जर निवासी देदिया हाल मुकाम माण्डना तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

बनाम प्रार्थी

1– किशनलाल पिता भोजा जाति गुर्जर निवासी माण्डना तह0 बेगूँ
2– श्री सरकार जरिये उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय, बेगूँ
3– सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

उपस्थित ::– श्री इफ्तेखार अजमेंरी विपक्षीगण
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक ::– 27.03.2025

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि उक्त अनवान का एक वादपत्र प्रार्थी/वादी की ओरसे न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है उसके साथ ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया है कि प्रार्थी छीतर जी गुर्जर निवासी देदिया का जायंदा पुत्र है व प्रार्थी ने सह खातेदार अलोल भूरी पिता घासी जी जाति गुर्जर से उनके सह खातेदारी की कृषि आराजीयात खाता संख्या 54 जमाबंदी मौजा माण्डना संवत 2072–75 में दर्ज आराजी नम्बर 72मी रकबा 1.11 हैक्टर भूमि कय की जिसका नामान्तरण संख्या 865 दिनांक 20.08.2019 को स्वीकृत होकर प्रार्थी विवादित कृषि आराजीयात में पूर्व से ही 1/4 हक हिस्से का सह खातेदार है व शेष हक हिस्से 5/8 का सह खातेदार मृतक गोरीलाल पिता घासी जी जाति गुर्जर एवं 1/8 हक व हिस्से की खातेदार प्रतिवादी संख्या 3 होकर विवादित कृषि आराजीयात प्रार्थी मृतक गोरीलाल व प्रतिवादी संख्या 3 के सह खातेदारी में चली आ रही है।

यह कि मृतक खातदेार गोरीलाल का विवाह बाल्यावस्था में खाना जी गुर्जर निवासी आनन्दपुरा तहसील बेगूँ की नाबालिग पुत्री कमलाबाई के साथ गोरीलाल के माता पिता ने सम्पन्न करवाया। परन्तु खातेदार गोरीलाल व कमलाबाई के बालिग होने पर दोनो ने अपने को पति पत्नि स्वीकार नहीं कर ऐच्छिक रूप से कमलाबाई को त्याग कर स्वर्गीय सायरीबाई गुर्जर से पुनः विवाह कर धर्म पत्नि स्वीकार कर ली जिससे स्वर्गीय सायरीबाई अपने जीवन तक स्वर्गीय गोरीलाल की पत्नि बनकर रही। स्वर्गीय गोरीलाल स्वर्गीय सायरीबाई के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुयी व सायरी बाई का गोरीलाल के जीवनकाल में ही दिनांक 18.1.2019 को स्वर्गवास हो गया जिसके समस्त सामाजिक एवं धार्मिक कियाकर्म स्वर्गीय गोरीलाल व प्रार्थी ने मिलकर सम्पन्न करवाये व प्रार्थी स्वर्गीय सायरी बाई एवं स्वर्गीय गोरीलाल की सेवा चाकरी करता हुआ स्वर्गीय गोरीलाल की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पति का उपयोग उपभोग स्वर्गीय सायरीबाई व गोरीलाल के साथ करता चला आ रहा था, व प्रार्थी मृतक गोरीलाल के निकट भाई बंधू में होकर भतीजा होने व गोरीलाल के और काई जायंदा वारिस नहीं होने व पत्नि सायरी बाई का अपने जीवनकाल में स्वर्गवास हो जाने से गोरीलाल ने अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी प्रार्थी को बनाते हुए प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 24.04.2019 को वसीयतनामा निष्पादित करवा दिनांक 29.05.2019 को पंजीकृत करवाया व प्रार्थी को अपना उत्तराधिकारी कायम किया गया व उसके पश्चात स्वर्गीय गोरीलाल का दिनांक 27.06.2019 को स्वर्गवास हो जाने पर प्रार्थी ने ही स्वर्गीय गोरीलाल का सामाजिक एवं धार्मिक कियाकर्म सम्पन्न करवाया व स्वर्गीय गोरीलाल सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पति पर काबिज होकर प्रार्थी ही उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिससे प्रार्थी ने स्वर्गीय गोरीलाल का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात अपने पक्ष में की गयी पंजीकृत वसीयत नामे के आधार पर स्वर्गीय गोरीलाल की विरासत अपने नाम वपर विपक्षी सं0 3 भूमिधारी तहसीलदार कार्यालय में दिनांक 3.07.2019 को मय दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत किया व प्रतिवादी संख्या 1 स्वर्गीय गोरीलाल की कभी पत्नि नही रहीं न ही पत्नि धर्म का कभी निर्वाह किया न ही प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वर्गीय गोरीलाल को कभी पति

कार किया, यहा तक प्रतिवादी सं0 1 ने खातेदार गोरीलाल को पति त्याग दिया था। जिसने गोरीलाल ने पुनः विवाह शायरीबाई के साथ किया व शायरी बाई अपने जीवन पर्यन्त गोरीलाल की धर्म पत्नि बनकर रही है। फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वर्गीय गोरीलाल प्रार्थी के वसीयत कर्ता की दिनांक 27.06.2019 को मृत्यु हो जाने के पश्चात अपने आप को स्वर्गीय गोरीलाल की पत्नि होना बनाते हुए आवेदन लिपक्षी संख्या 3 के कार्यालय मे प्रस्तुत किया जो पटवारी हल्का को जाँच हेतु भेजा जाने से नये पटवारी हल्का ने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में पत्नि बनाते हुए नामान्तरण मामे पंचायत सुवानिया से स्वीकृत करवा लिया जबकि वसीयत के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही विपक्षी संख्या 3 के कार्यालय में लम्बित होकर पत्रावली विचाराधीन थी जिससे प्रतिवादीसंख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरण प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी गोरीलाल द्वारा की गयी पंजीकृत वसीयत के मुकाबले शून्य थी फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना कब्जे के राजस्व रेकार्ड में अपने नाम आ जाने के आधार पर दिनांक 12.09.2019 को तथा कथित बहनामा प्रतिवादीसंख्या 1 ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पंजीकृत करवा लिया जो प्रार्थी के हक व अधिकारो के मुकाबले निः प्रभावी व शून्य दस्तावेज होकर प्रार्थी विवादित कृषि आराजीयात जो वसीयतकर्ता गोरीलाल के हक व हिस्से में 5/8 हक व हिस्सा दर्ज रेकार्ड था जो स्वर्गीय गोरीलाल ने अपने जीवन काल में शायरीबाई को अपनी पत्नि मानते हुए दिनांक 29.05.2019 को वसीयत कर अपना उत्तराधिकारी कायम किया है, जिसकी प्रार्थी घोषणा करवाया जाने व नामान्तरण संख्या 872 दिनांक 6.09.2019 मौजा माण्डना पटवार हल्का सुवानिया तहसील बेगूँ व तथाकथित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2019 जो प्रतिवादी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में पंजीकृत करवाया जो शून्य घोषित करवाया जाने का अधिकारी होने से वादपत्र प्रार्थी घोषणात्मक डिक्री एवं इन्द्राज दुरस्ती पेश है।

यह कि विवादित आराजीयात मौजा माण्डना की आराजी नम्बर 72 मी रकबा 1.11 हेक्टर में प्रार्थी ने 1/4 हक व हिस्सा कय कर राह खातेदार है व स्वर्गीय गोरीलाल का 5/8 वा हक हिस्सा का गोरीलाल ने प्रार्थी के पक्ष में पंजीकृत वसीयत नामा दिनांक 29.05.2019 को निष्पादित किया व दिनांक 27.06.2019 को स्वर्गीय गोरीलाल का स्वर्गवास हो जाने से प्रार्थी विवादित कृषि आराजीया तगे से 7/8 व विपक्षी संख्या 3 का 1/8 हक हिस्से अनुसार राह खातेदार है व उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना कब्जे व हक व अधिकार के स्वर्गीय गोरीलाल के हक व हिस्से का नामान्तरण स्वीकृत करवा कर उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को तथाकथित विक्रय पत्र से विक्रय कर दी जिससे विपक्षी संख्या 1 राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर प्रार्थी को विवादित कृषि आराजीयात से बेदाल कर जबरन कब्जा करने व अन्य को हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

यह कि न्याय साम्य सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अगर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन किया जाना कतई संभव नहीं होगा। इसलिये न्याय साम्य सुविधा प्रार्थी के पक्ष में होकर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अगर विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी का सामना करना पडेगा। अगर विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र बहस प्रार्थी विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह विवादित कृषि आराजयीात तथाकथित पंजीकृत बहनामे के आधार पर अपने नाम दर्ज नहीं करावे, न ही उसका हस्तान्तरण करे व न ही प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त से बेदखल करे न ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षी संख्या 1 की ओर से मूल दावा पत्रावली में अधिकारी श्री कैलाशचन्द्र मंत्री द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र वेग एवं मिथ्या तथ्यो पर आधारित होरक प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

(सहायक अधिकारी)

यह कि प्रार्थना पत्र की कलमसंख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी 1/4 हक का विक्रय पत्र के आधार पर सह खातेदार होने का कथन करता है जो की एक गलत एवं बिना प्रतिफल के बोगस विक्रय पत्र के आधार पर बना है। शेष 6/8 मृतक गौरीलाल जी का उनकी पत्नी कमलीबाई के नाम जरिये विरासत दर्ज हो चुका है एवं कमलीबाई ने यह हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 12.09.2019 से विपक्षी सं0 1 को विक्रय कर कब्जे सौंप दिया है जो विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है।

यह कि कलम सं0 2 द्वितीय का जबवा इस प्रकार है कि कमलीबाई का गौरीलाल के साथ विवाह होने के कथन के अलावा शेष सम्पूर्ण कथन गलत होकर अस्वीकार है। कमलीबाई गौरीलाल की विवाहिता पत्नी होकर गौरीलाल के साथ रह कर अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर रही थी। दोनो के कोई संतानोत्पत्ति नहीं होने से कमलीबाइ की सहमति से गौरीलाल के सायरीबाई के नाते लाये जिसका भी गौरीलाल से पहले स्वर्गवास हो चुका है। सायरीबाई को नाते लाने से कमलीबाई के पत्नी होने के हक अधिकारो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। गौरीलाल जी की एक मात्र वारिस विधवा पत्नी कमलीबाई बनी।

जहॉ तक प्रश्न गौरीलाल जी की सेवा सुश्रुषा का है प्रार्थी ग्राम मांडना से 35-40 किलो मीटर दूर ग्राम देदिया में रहता है, जिसके कभी भी मांडना आकर गौरीलाल जी की सेवा सुश्रुषा नहीं की है। गौरीलाल जी की सेवा सुश्रुषा पत्नी कमलीबाई एवं गौरीलाल के भतीजे सं0 1 किशनलाल एवं व किशनलाल के भाई लादूलाल करते आये है।

जहॉ तक प्रश्न गौरीलाल जी द्वारा प्राथी के पक्ष में किसी वसीयत का है, यह तथाकथित वसीयत फर्जी कूट रचित, बनावटी एवं विधि विरूद्ध होकर कमलीबाई के हक अधिकारो के मुकाबले शुन्य एवं निःप्रभावी है। गौरीलाल जी अपनी मृत्यु से एक वर्ष पूर्व से ही मानसिक एवं शारिरिक रूप से बीमार होकर उनका ईलास चल रहा था, वे सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे, वे कभी भी वसीयत कराने तहसील कार्यालय में नहीं आये एवं न ही उन्होने कभी प्रार्थी के पक्ष में कोई वैद्य वसीयत ही की है। प्रार्थी मृतक गौरीलाल का न तो नजदीकी रिश्तेदार है एवं न ही प्रार्थी ने कभी भी ग्राम मांडना आकर गौरीलाल की सेवा ही की हैं। वसीयत के गवाह रूगनाथ प्रार्थी के पिता का मामा एवं लखमीचंद मामा का लडका होकर नजदीकी रिश्तेदार है जिन्होने सभी ने मिलकर गलत एवं अवैध वसीयत तैयार करवाई है। वसीयत का दिनांक 24.04.2019 को पंजीयन करवाया जाना व वसीयत का अग्र भाग एवं पृष्ठ भाग में वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरो एवं फोटो में भिन्नता आना अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। इस प्रकार एवं अन्य कई कारणो से यह वसीयत पत्र विधि प्रावधानानुसार निष्पादित वैद्य दस्तावेज नहीं होकर प्रार्थी को इससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं0 3 गलत होकर अस्वीकार है। आराजी संख्या 72मी0 ग्राम मांडना के किसी भी हिस्सा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थी ने अलोल एवं भूरी से भी बिना प्रतिफल के विक्रय पत्र मात्र पंजीयन करवाया है। कब्जा अलोल एवं भूरीबाई का ही नहीं था तो प्रार्थी कब्जा देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सम्पूर्ण भूमि गौरीलाल जी के समय से ही विपक्षी सं0 1 के कब्जे काश्त में गौरीलाल जी के कहने से चली आ रही थी जो आज भी विपक्षी संख्या 1 के कब्जे काश्त में है। जहॉ तक प्रश्न विपक्षी सं0 1 के हक अधिकारो का है विपक्षी सं0 1 ने भूमि सहखातेदार श्रीमती कमली पत्नी स्व0 गौरीलाल गुजर से विधिवत प्रकिया अपना वैद्य वकिय पत्र के माध्यम से हिस्सा भूमि कय कर कब्जा प्राप्त किया है, जिसे कानूनन विधिक संरक्षक प्राप्त होता है। प्रार्थी ने जानबूझ कर विपक्षी सं0 1 की कय सुदा हिस्सा भूमि को हडपने एवं नाजायज लाभ प्राप्त करने की गरज से गलत एवं वेग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं0 4 गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी सं0 1 ने दर्ज खातेदार से उसके स्वामित्व आधिपत्य एवं खातदोरी की हिससा भूमि कीमतन ख़रीद की है जिससे सुविधा संतुलन विपक्षी सं0 1 के पक्ष में है एवं विपक्षी सं0 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर विपक्षी सं0 1 अपनी खरीद हिस्सा भूमि के उपयोग उपभोग से वचित हो जायेगा इस प्रकार विपक्षी सं0 1 को अपूर्तनीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र की कलम सं0 5 से 7 कानूनी होने से जबवा की आवश्यकता नहीं है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
डेगाना (नागौर)

विपक्षी ने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया है कि :—

यह कि प्रार्थी के वाद का मुख आधार वसीयत पत्र है जो फर्जी बनावटी अवैध एवं शुन्य है जिसके आधार पर सिविल न्यायालय से ही प्रार्थी राहत प्रदान कर सकता है, वसीयत के आधार पर किसी को वारिस घोषित करने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को होने से जब वाद वादी ही इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार के बाहर का है तो यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

यह कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वर्णित विवादित आराजीयात के विपक्ष सं0 1 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विकय पत्र को भी अवैध घोषित कराने बाबत अपने अभिवचन में उल्लेख किया है एवं राजस्व न्यायालय को किसी भी दस्तावेज को अवैध घोषित करने की अधिकारिता नहीं होने से वाद सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का होने से वाद एवं प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से निरस्त योग्य है।

यह कि विपक्षी सं0 1 ने हिस्सा भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज खातेदार से कीमतन विधिवत प्रकिया अपना कर खरीद की है जिससे विपक्षी सं0 1 खातेदार हो चुका है एवं किसी भी विधिक स्वामी एवं खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने के प्रावधान होने से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त योग्य है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना हे कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आर.टी.एक्ट पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया । बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी के नम्बर 72 है जो पूर्व में गौरीलाल के खाते दर्ज थी, गोरीलाल का विवाह कमलाबाई से हुआ तथा बाद में सायरीबाई से हुआ। गौरीलाल के कोई औलाद नहीं होने से मुझ प्रार्थी के नाम पर दिनांक 24.04.2019 को वसीयत निष्पादित की गई जो दिनांक 29.05.2019 को पंजीकृत कराई गई है। गौरीलाल की मृत्यु दिनांक 27.06.2019 को हुई प्रार्थी द्वारा दिनांक 3.7.2019 को तहसीलदार साहब के यहॉ एक प्रार्थना पत्र पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरण प्रार्थी के नाम पर खोले जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। कमलीबाई ने एक फर्जी दस्तावेज तैयार करवा कर खुद के नाम भूमि विरासत से दर्ज करा दिनांक 12.9.2019 को विपक्षी संख्या 1 के नाम बैचान कर दिया जो प्रार्थी के मुकाबले शुन्य है। साथ ही परित्यक्ता कमलीबाई पेशन प्रमाण पत्र निर्वाचक नामावली , आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड आदि सब में उनके पिता का नाम अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

बहस में अधिवक्ता विपक्षी ने निवेदन किया कि हिन्दु विवाह अधिनियम के अनुसार ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसे ही छोडने से कोई पत्नी हट जाती है। कमला के कोई संतान न होने से दूसरी पत्नी लाया। दो पत्नि हो तो लास्ट वाली के अधिकार समाप्त हो जायेगें। वसीयत गलत है एवं फर्जी है, कमला का नाम पत्नी होने से लगा है , पूरे गांव का पर्चा मौका नामान्तरण पर है। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है क्यो कि किसी खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती है। बहस के दौरान न्यायिक उद्रण सीसीजे 2019 पृष्ठ 835 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया गया।

हमारे द्वारा दोनो अधिवक्तागणों की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। तथा इस प्रार्थना पत्र पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दुओं पर निर्णय किया जाना होता है जिन पर निर्णय प्रस्तुत दस्तावेज का उल्लेख करते हुए निम्न प्रकार से किया जाता है :—

1— <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> ::—

प्रार्थी द्वारा एवं वाद पत्र पंजीकृत वसीयत नामा के आधार पर मृतक गौरीलाल के खाते की दर्ज भूमि मौजा माण्डना प0ह0 सुवाणिया की आराजी संख्या 72मी रकबा 1.1110 हैक्टर भूमि का नामान्तरण उनके नाम पर किये जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, साथ ही भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा माण्डना प0ह0 सुवाणिया सम्वत 2072 से 75 का अवलोन किया गया। आराजी संख्या 72मी रकबा 1.1110

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

भूमि के खातेदार श्री गौरीलाल उर्फ पिता घासी गुजर सा.देह खातेदार दर्ज है तथा जमाबंदी नोट अंकित किया हुआ है कि नामान्तरण संख्या 701 दिनांक 21.12.2015 से विरासत से उदा के बजाय श्री गौरीलाल अलोस भूरी कमली पिता घासी के नाम दर्ज की स्वीकृती हुई। नामान्तरण संख्या 865 दिनांक 20.08.2019 से खसरा अब श्री गौरीलाल 5/8, कमली 1/8 पिता घासी गुर्जर सा.देह राजुलाल पिता छीतरलाल 1/4 गुजर सा.देदीया के नाम दर्ज करने की स्वीकृती हुई है। तथा नामान्तरण संख्या 872 दिनांक 6.9.2019 विरासत से गौरीलाल पिता घासी 5/8 के बजाय कमलीबाई पत्नी स्व. गौरीलाल 5/8 गुजर सा.देह के नाम दर्ज की स्वीकृती हुई। नामान्तरण संख्या 872 की नकल इस प्रार्थना पत्र पत्रावली मे प्रस्तुत की गई जिसका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, नामान्तरण पर सजरा गौरीलाल पिता घीसा गुजर का बनाते हुए पुत्र नहीं पुत्री नहीं सायरी नाता पत्नी फोत होना तथा कमलीबाई पत्नी जीवित होना दर्शाया हुआ है। यह नामान्तरण सरपंच ग्राम पंचायत सुवाणिया द्वारा प्रमाणित किया गया तथा नोट अंकित है कि प्रस्ताव संख्या 2 दक्त कौरम नामान्तरण पेश हुआ मृतक गौरीलाल की मृत्यु होने से वारिसो की जांच कर कॉम संख्या 9 के अनुसार सर्व सम्मती से पत्नी कमलीबाई के नाम दर्ज करने की स्वीकृत दी गई । इस नामान्तरण संख्या 872 के कॉलम संख्या 14 में एक नोट अकित किया हुआ है कि श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूं आदेश क्रमांक/एल.आर./2009 दिनांक 27.8.2019 की पालना में मृतक गौरीलाल की विरासत की गई संलग्न वस्पा वोटर आईडी ग्राम पंचायत राशन प्रमाण पत्र आधार कार्ड व तहसील आदेश व पर्चा मौका । यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब दिनांक 3.7.2019 को प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पंजीकृत वसीयत के आधार पर मृतक गौरीलाल की भूमि के नामांन्तरण की कार्यवाही किए जाने हेतु प्रस्तुत किया था उसके सम्बन्ध में तहसीलदार बेगूँ द्वारा कया कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि" वसीतय के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही विपक्षी सं0 3 के कार्यालय में लम्बित होकर पत्रावली विचाराधीन थी।" जब इस प्रकार की कोई पत्रावली तहसील न्यायालय में विचाराधीन थी तब सम्बन्धित ग्राम पंचायत को इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा लिखा जाना चाहिए था, कि मामला विवादित होने विरासत के नामान्तरण की कार्यवाही न की जावें। इस प्रकार सम्बन्धित पटवारी द्वारा बिना ठोस जॉच किये नामान्तरण दायर किया है, क्यो कि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय में प्रस्तुत वसीयत के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही का प्रार्थना पत्र भी सम्बन्धित पटवारी को जॉच के लिए भिजवाये जाने का उल्लेख है, फिर किस आधार पर सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा विरासत के नामान्तरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में जॉच पूरी क्यो नहीं की?

नामान्तरण संख्या 872 जो कि दिनांक 6.09.2019 को प्रमाणित किया गया तथा विरासत से खाते में आई हुई भूमि का विक्रय 12.9.2019 को कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के नाम पर पंजीकृत वसीयत नामा जो कि दिनांक 23.04.2019 को पंजीकृत हुआ है का ध्यान नहीं रखा गया है। बहस के समय अधिवक्ता विपक्षी ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनमें एक आवेदन पत्र की छायाप्रति है जो कमलाबाई द्वारा दिनांक 20.8.2019 को विरासत का नामान्तरण कराने हेतु तहसीलदार बेगूँ को दिया गया है। पचौमौका रिपोर्ट है जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर मय सील के अंकित किये हुए है साथ ही अन्य ग्राम वासीयो के हस्ताक्षर है। दिनांक 20.8.2019 कमलाबाई द्वारा प्रस्तुत विरासत का नामान्तरण की कार्यवाही का प्रार्थना पत्र को तहसीलदार बेगूँ द्वारा पटवार हल्का सुवाणिया को जॉच कर नियमुनसार कार्यवाही हेतु भेजा गया है जिस पर बैठक कार्यवाही करते हुए नामान्तरण किया गया है, वोटरलिस्ट 2019 में कमली/गोरीलाल स्त्री अंकित है की नकल प्रस्तुत की गई है। प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सुवाणिया के द्वारा जारी किये हुए जो गोरूलाल पिता घीसला गुर्जर निवासी माण्डना की मृत्यु दिनांक 27.6.19 को हो गयी इनके दो पत्नियॉ होने के सम्बन्ध में तथा दूसरी प्रमाण पत्र श्रीमती कमलाबाई पत्नी गौरीलाल का माण्डना की रहने वाली का है।राशन कार्ड एवं आधार कार्ड आदि दस्तावेज का भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। यहॉ प्रश्न मृतक गौरूलाल के दो पत्नि होने से पहली पत्नी के अधिकारो के लेकर विरासत की कार्यवाही का न होकर प्रार्थी के पक्ष में मृतक गौरूलाल द्वारा किये पंजीकृत वसीयत नामा का है। इस प्रकार हिन्दू विवाह अधिनियम का विवाद नहीं होने से प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त मान्य नहीं है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

तहसीलदार/पटवारी हल्का को किसी मृतक खातेदार की विरासत किये जाने के सम्बन्ध में पुख्ता जाँच करनी चाहिए थी क्यो कि प्रार्थी ने भी आवेदन दिया होना बताया गया है तथा कमलाबाई द्वारा भी आवेदन दिया गया था। जहाँ तक विवादित कृषि भूमि पर अधिकार एवं स्वामित्व का प्रश्न है इस सम्बन्ध में यह सभी तथ्य की कृषि भूमि पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रार्थी के नाम रहेगी अथवा विरासत से कमलाबाई की भूमि होने से उनके द्वारा विक्रय किया गया अधिकार सही है अथवा नहीं है यह सभी जाँच मूल वाद में होनी है। तथा प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि मौजा माण्डना प0ह0 सुवानिया की आराजी संख्या 72मी रकबा 1.1110 हैक्टर भूमि के मौके व रिकोर्ड की यथास्थिती कायम रखा जाना हम उचित समझते है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध किया जाता है।

सुविधा का संतुलन :–

प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात मौजा माण्डना प0ह0 सुवानिया की आराजी संख्या 72मी रकबा 1.1110 हैक्टर भूमि पर कब्जा होने का प्रश्न है वह प्रार्थी द्वारा उनका ही कब्जा गौरूलाल के समय से ही भूमि पर होना अंकित किया है। प्रार्थी ने ही मृतक खातेदार की सेवा सुश्रुषा व सामाजिक काज कियावर करना तथा वसीयत के आधार पर गौरूलाल की समस्त चल अचल सम्पत्ति का अधिकार प्रार्थी को दिया जाने का उल्लेख प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कियागया है। प्रकरण में विपक्षी द्वारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट हेंतु एक आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था लेकिन वह न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। विवादित भूमि के मौके पर रिकोर्ड की यथास्थिती किया जाना न्यायालय ने उचित समझा है।विपक्षी संख्या 1 द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरण संख्या 973 दिनांक 20.09.2022 को खुलवाते हुए अपना नाम दर्ज होने का दस्तावेज प्रस्तुत किया है, यदि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा काश्त नहीं है तो इस दस्तावेज के आधार पर कब्जा प्राप्त करने का प्रयास करेगें जिससे विवाद अधिक बढेगा जहाँ तक प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में जो निर्णय होगा वह मूलवाद के अंतिम निस्तारण में होना है। तब तक वर्णित कृषि भूमि की मौका स्थिती जो भी हो वह मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक कायम रखी जावें इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अपूर्तनीय क्षति ::–

प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि मौजा माण्डना प0ह0 सुवानिया की आराजी संख्या 72मी रकबा 1.1110 हैक्टर भूमि जो कि पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने का दस्तोवज प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा इस विवादित आराजी को लेकर एक वाद पत्र इस न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया है, यदि विपक्षी द्वारा खाते में नाम होने के आधार पर भूमि का अन्यत्र विक्रय कर दिया जाता है तो निश्चित ही प्रार्थी का दावा प्रस्तुत करना व्यर्थ हो जायेगा जबकि इस प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अभी यह तय होना बाकी है कि भूमि का हक अधिकार किसको जाता है। प्रकरण में भूमि के मौके व रिकोर्ड की यथास्थिती कायम किया जाना न्यायालय ने उचित समझा है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में ही निर्णित किया जाता है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र निर्णय के मुख्य तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक मौजा माण्डना प0ह0 सुवानिया की आराजी संख्या 72मी रकबा 1.1110 हैक्टर भूमि के रिकोर्ड की एवं मौके की यथास्थिती कायम रखे जाने हेतु विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.03.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ